केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00085
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00147
अपीलकर्ता श्री अमित कुमार
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.03.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.03.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.03.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO, (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	02.04.2025
निर्णय की तारीख	24.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.03.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

1.) प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2025 के द्वितीय अपील पत्र का कोई पंजीकरण संख्या आज तक प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है।

2.) प्रार्थी के दिनांक 25.11.2025 आपके कार्यालय को प्राप्त हुआ है या नहीं।

दोनों सवालों के जवाब कृपया करके राष्ट्रीय भाषा हिंदी में देने की कृपया करें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 20.03.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"बिंदु सं 1.) - आयोग में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर सुनवाई की जाती है। आपकी द्वितीय अपील जब सुनवाई के लिए आएगी उस समय आपको सुनवाई नोटिस भेज दिया जाएगा।

बिंदु सं 2.) - कृपया बिंदु में उल्लेखित उत्तर का अवलोकन करें।

3. प्रथम अपील का आधार

महोदय जी मैंने दिनांक 07.03.2025 को एक RTI पत्र दाखिल किया था जिसका जवाब बिना सोचे समझे दिया गया है RTI पत्र में पूछे गए सवालों का जवाब बिलकुल RTI में पूछे गए सवालों के विपरीत समय खराब कराने वाला दिया गया है ताकि प्रार्थी को और परेशानियों का सामना करना पड़े ऐसे RTI अधिकारिओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए इस प्रथम अपील को शिकायत प्रकोष्ठ में भी भेजने की कृपया करें। सूचना आयोग से ही ऐसे जवाब दिए जायेंगे तो अन्य विभाग आम जनता के साथ क्या व्यवहार करेंगे। आपसे अनुरोध RTI पत्र को व जवाब को पढ़कर सख्त - सख्त कार्यवाही सूचना अधिकारी के खिलाफ की जाये व RTI में पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब दिलवाया जाये प्रति लिपियाँ सलग्न है दोनों प्रश्नो व दिए गए उत्तर को अच्छे से पढ़े व कार्यवाही की जाये।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00147 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00147 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक 24.04.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) श्री विजेंद्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(8) 24/04/25 O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 APR 2025
D. No. ....
Initials....